STRUCTURAL SAFETY AND NATURAL HAZARD PROTECTION OF BUILDINGS
(उपविधि संख्या–13.1)

1. Requirements specified in the following Indian Standards, Codes and guidelines and other documents needs to be observed for structural safety and natural hazard protection of buildings etc:-

a) **For General Structural Safety**
   1. IS : 1905 –1987 "Code of Practice for Structural use of unreinforced Masonry (third revision)" Indian Standards Institution, March 1981
   2. IS : 1904 –1978 "Code of Practice for Structural Safety of Buildings : Foundations" Indian Standards Institution
   3. IS : 456 –2000 "Code of Practice for Plain and Reinforced Concrete" Indian Standards Institution, September 2000
   4. IS : 800 –1984 "Code of Practice for general Construction in Steel" Indian Standards Institution, February, 1985
   5. IS : 883 –1966 "Code of Practice for Design of Structural Timber in Building", Indian Standards Institution, March, 1967
   6. **IS 875 (Part 2) : 1987 "Code of Practice for design loads (other then earthquake) for building and structures : Part 2 Imposed loads (Second revision)**
   7. **IS 875 (Part 3) : 1988 "Code of Practice for design loads (other then ~~earthquake) for building and structures~~ : Part 3 Wind loads (Second revision)**
   8. **IS 875 (Part 5) : 1987 "Code of Practice for design loads (other then earthquake) for building and structures : Part 5 Special loads and load combinations (Second revision)**

   Besides, any other relevant Indian Standards will need to be referred to.

b) **For Earthquake Protection**
   6. IS : 1893 (**Part 1**) "Criteria for Earthquake Resistant Design of Structures ; **General Provisions and Buildings Part** 1(fifth Revision)"
   7. IS : 13920-1993 "Ductile Detailing of Reinforced Concrete Structures subjected to Seismic forces- Code of Practice" November 1993
   8. IS : 4326-1993 "Code of Practice for Earthquake Resistant Design and Construction of Buildings (Second Revision)" October 1993
   9. IS : 13828-1993 " Improving Earthquake Resistance of Low Strength Masonary Buildings – Guidelines " August 1993
   10. IS : 13827-1993 " Improving Earthquake Resistance of Earthen Buildings – Guidelines " October 1993
   11. IS : 13935-1993 " Repair and Seismic Strengthening of Buildings – Guidelines" November 1993

SANJAY VITHALKAR
(B. Tech., IIT Delhi)
Structural Consultant
SPACE COMBINE
Architects Engineers Planners
Landscape Interior Designers
A-1/112, 2nd floor Safdarjung Enclave
New Delhi - 110029

Owner | Architect | Structural Engineer

12. " Improving Earthquake Resistance of Buildings - Guidelines " by Expert Group, Government of India, Ministry of Urban Affairs & Employment, published by Building Materials and Technology Promotion Council, 1998
13. The National Building Code of India-2005
    For location of the building as hazard prone area of earthquakes, cyclone or wind storms and floods, reference may be made to the following:
14. "Vulnerability Atlas of India", by Expert Group, Government of India, Ministry of Urban Affairs & Employment, published by Building Materials and Technology Promotion Council, 1997

Note:

1. As and when anyone of the above referred standards and documents is revised, the design and construction of buildings thereafter must satisfy the latest version for approval of the building plans by the concerned local authority.

SANJAY VITHALKAR
(B. Tech., IIT Delhi)
Structural Consultant
SPACE COMBINE
Architects Engineers Planners
Landscape Interior Designers
A-1/112, 2nd floor Safdarjung Enclave
New Delhi - 110029

(Certificate to be given in each building plan to be submitted for sanction)
(उपविधि संख्या–13.2)

It is hereby certified that the structural and foundation design of the building for which map and plans are submitted for approval satisfy the safety requirements as stipulated in the relevant Indian Standard Codes, National Building Code, guide lines and documents specified in Annexure-I Building Bye-Laws.

Signature of Owner with date	Signature of the Structural Engineer who has prepared the Design with date	Signature of the Architect who had Prepared the design with date
Name(Block)..... Address:.....	Name Block) SANJAY VITHALKAR Legible Seal: (With address) 07/04/2016	Name (Block)..... COA Registration No..... Legible Seil(with address)

SANJAY VITHALKAR
(B. Tech., IIT Delhi)
Structural Consultant
SPACE COMBINE
Architects Engineers Planners
Landscape Interior Designers
A-1/112, 2nd floor Safdarjung Enclave
New Delhi - 110029

स्वीकृत
नं० 994 दि० 18/4/16
दि० 18/7/16 से 12/7/16 तक
विशेष कार्यपालक अभियन्ता
वास्तुविद नियोजक

भूकम्प अवरोधी निर्माण हेतु अधोमार्ग : शर्तें
शासनादेश संख्या 570/9–आ–1–2001–भूकम्परोधी/2001(आ0आ0) दिनांक 03, फरवरी 2001 में उल्लिखित
मानचित्र स्वीकृति की शर्तें–

"बृन्दावन योजना को पश्चिम की 216वीं बोर्ड बैठक दिनांक 6–1–2011, के मद संख्या–17 के निर्णय के क्रम में अधिकरित घोषित है इससे योजना का बेसिक एफ0ए0आर0 2.50 हो गया है तदनुसार शासनादेश संख्या–3589/8–3–2011 विविध/08 दिनांक 04.08.2011 में नयी एवं अधिकरित योजनाओं हेतु बेसिक एफ.ए.आर. 2.5 घोषित किया गया है। इसी क्रम में बृन्दावन योजना के अन्तर्गत बेसिक एफ.ए.आर. 2.5 निर्धारित किया गया है एवं योजना अर्न्तगत 10–10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 का नियोजन पूर्व में प्राप्ति धारित है। अतः योजना में शासनादेश के अनुपालन में आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों में बेसिक एफ0ए0आर0 के निर्माण योजनान्तर्गत 10–10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण उक्त के फलस्वरूप अनुमन्य रखा जाय।"

उक्त के अनुक्रम में एतद्द्वारा निम्नांकित शर्तों सहित उक्त मानचित्र निर्गत किया जा रहा है :–

1. पूर्व में भूखण्ड के सापेक्ष पूर्व में पश्चिम के पक्ष संख्या–126/निउप्रा0–2010/24/आ0नि0–5 दिनांक 13–7–2011 द्वारा 24&C–एफ0ए0आर0 के अर्न्तगत मानचित्र स्वीकृत है वर्तमान में स्वीकृत से भिन्न एवं कतिपय संशोधनों सहित पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृति जिसके फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत मानचित्र एतद्द्वारा द्वारा निरस्त मानते हुए पूर्व स्वीकृत मानचित्र मूलरूप में स्वीकृत पत्र संख्या इस कार्यालय के सापक्ष/पावक करना होगा।
2. वर्तमान में यह स्वीकृति ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर नियमानुसार 2.4997 एफ0ए0आर0 सहित शमनित करते हुए सहित कुल 963 इकाईयों निर्मित/शमनित किये जाने हेतु अनुवर्ती तलों पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा। वर्तमान में क्रियान्वयन,तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 5–2–2016 के अनुमोदन के क्रम में स्थल पर निर्माण किया जाएगा।
5. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पूर्व में स्वीकृत मानचित्र के अवधि के अनुसार ही मान्य होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
7. पूर्व में स्वीकृत मानचित्र में 11 नग टावरों में से निर्मित व शमनित 09 टावरों (क्रमशः टावर नं0 टी–2, टी–3, टी–4, टी–6, टी–7, टी–8, टी–9, टी–10 व टी–11 एवं क्लब हाउस) का शमनित मानचित्र उच्च स्तरीय समिति द्वारा कतिपय शर्तों सहित अनुमोदित किया है। यह स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित अवशेष (प्रस्तावित निर्माण क्षेत्रफल 15038.40 वर्गमी0) टावर नम्बर टी–1 व टी–5 जो कि पूर्व स्वीकृत मानचित्र दिनांक 13–7–2011 में प्रस्तावित थे एवं जिनका खण्ड कार्यालय की स्थल आख्या के अनुसार तददिनांक तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, के सापेक्ष भूतल पर निर्माण क्षेत्रफल 1329.00 वर्गमी0 हेतु की स्वीकृति प्रथम चरण के अर्न्तगत वर्तमान में प्रदान की जा रही है।
8. वर्तमान में अवशेष निर्माण हेतु प्रथम चरण में दोनों टावर्स (टावर संख्या टी0–1,टी0–5 व शापिंग) सहित 15038.40 वर्गमी0 (प्राउण्ड फ्लोर + 13 तल) में से भूतल के निर्माण क्षेत्रफल 1329.00 वर्गमी0 हेतु निर्माण की स्वीकृति भूखण्ड क्षेत्रफल 44609.67 वर्गमी0 पर प्रदान की जा रही है।
9. टावर संख्या टी0–1, टी0–5 व शापिंग के सम्पूर्ण निर्माण (दोनों चरणों सहित) की अवधि पूर्व में स्वीकृत की अवधि (दिनांक 13–7–2011 से दिनांक 12–7–2016) के अनुसार होगी। उक्त अवधि के उपरान्त निर्माण की दशा में नियमानुसार सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से निर्माण हेतु समयवृद्धि प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी।
10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी,उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्र संख्या–1615/एफ0एस0–11 दिनांक 11–05–2015 के द्वारा अग्रसारित प्रमाण पत्र/सत्यापित मानचित्र प्रस्तुत किये गये है जारी किया गया है की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है।
11. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
12. आवंटी द्वारा सर्वेक्षण प्राक्रय पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु कालान्तर मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञप्ति तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। निर्धारित समयावधि मे निर्माण कार्य यथानायक सही पाये जाने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
13. आवंटी द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार/संचय करने की दशा में मानचित्र अनुमत होने की तिथि से देय मूलधन मूल्य तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।

BUILDING INFORMATION SCHEDULE
(उपविधि संख्या–13.2)

1.	**Building Address**	Plot No.	Scheme/Colony	Town	District
2.	Building function & Location:				
2.1	Use	Institutional	Commercial	Industrial	RESIDENTIAL
2.2	**Importance**	Ordinary	Important	Hazardous	* IS:1893
2.3	**Seismic Zone (Design Intensity Used**	VII(X)	IV(VIII)	III(VII)	II(VI) IS:1893
3.	**Design EQ Factor**	α_0= 0.16	β=	β=	α_h= IS:1893
4.	**Foundation**				
4.1	**Soil type at site (Note 2)**	Rock/soft	Medium soft	Liquefiable	Expensive (B.C.) IS:1904
4.2	**Type of Foundation**	Strip Indiv.Col.	Footings	Raft/Bearing Piles	Friction Piles IS:1893
5.	**Load Bearing Wall Buildings**				
5.1	**Building Category**	A(σ b<.05)	B(σb=.05 to .06)	C(σb.06 to <.08)	D(σb .08 to <0.12) E (σb >0.12) IS:4326
5.2	**Bearing Walls**	Brick	Stone	Solid Block	Hollow Block Adobe
5.3	**Mortar (note 4)**	C :S=1: ...	C:L:S =1:...	L:S=1: ...	Clay Mud *
5.4	**Floors**	R.C.slabs	Stone slabs on joists	Prefab flooring elements	*
5.5	**Roof structure**	Flat like floors/ pitched	Trusses/ Rafters/ A Frame/ Shopping		R.C. Slab
5.6	**Roof covering**	CGI Sheeting	AC sheeting	Clay tiles/Slate	Wood shingle *
5.7	**Opening in walls**	Control used on sizes ? Yes/No/NA	Control used on location ? Yes/No/NA	Strengthening around ? Yes/No/NA	IS:4326 IS:13828
5.8	**Bands Provided**	Plinth Band	Lintel Band	Roof/Eave Band	Gable Band Ridge Band -do-
5.9	**Vertical Bars**	At corners of rooms	At jambs of openings	-do-	
5.10	**Stiffening of Prefab Floors/Roofs**	R.C. screed & Band	Peripheral band and connectors	Diagonal planks and around band	IS:4326

SANJAY VITHALKAR
(B. Tech., IIT Delhi)
Structural Consultant
SPACE COMBINE
Architects Engineers Planners

6.	**Steel / R.C. Frame buildings**	
6.1	**Building Shape**	Both axes near symmetrical One axis near symmetrical / Unsymmetrical (Torsion considered)
6.2	infills / partitions Out of plane stability check? Yes/ No In Plane stiffness considered? Yes/ No IS:1893 IS:1326	
6.3	**Ductile Detailing of RC Frames**	Beams ? (YES/NO) Columns ? (YES/NO) Beam column Joint ? (YES/NO) Shear Walls? (YES/NO) IS:13920
6.4	**Ductile Detailing of Steel Frames**	Beams ? YES / NO Columns ? YES / NO Beam Column Joint ? YES / NO SP(6)

Notes:-

1. Encircle the applicable Data or insert information.
2. Soil: N>30:Medium. N=10.3:Soft.N<10:Liquefiable,poorly graded Sands with N<15 under Water Table (see Note 5 of Table 1 in IS:1893) Where N=Standard Penetration (IS:2131-1981).
3. * Means any other, specify.
4. C= Cement, S= Sand, L= Lime

The above information is factually correct.

Signature of Owner with date
Name (Block).....

Signature of the Engineer who will Supervise the construction
Name (Block)..... B. PRAKASH
Legible Seal: (with address) Second floor Elite Corporate Chamber-I Vibhuti Khand, Gomtinagar, Lucknow-226010

Signature of the Architect who had Supervised the construction
Name (Block).....
COA Registration No.....
Legible Seal (with address)

SANJAY VITHALKAR
(B. Tech., IIT Delhi)
Structural Consultant
SPACE COMBINE
Architects Engineers Planners
Landscape Interior Designers
A-1/112, 2nd floor Safdarjung Enclave
New Delhi - 110029

स्वीकृत
नं० 994 दि० 18/4/16
दि० 18/7/16 से 12/7/16 तक
विशेष कार्यपालक अभियन्ता
वास्तुविद नियोजक

CERTIFICATE
(उपविधि संख्या–13.2)

(The certificate to be submitted with the application for building permission along with the building drawings and Building Information Schedule).

1. Certified that the building plans submitted for approval also satisfy the safety requirements as stipulated in the Indian Standard, Codes, guidelines and documents specified in the Annexure-I of the Building Bye-Laws regarding earthquake safety awareness and the information given in the attached Building Information Schedule, is factually correct to the best of my knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from natural hazards including Earth Quake has been prepared by duly qualified graduate Civil Engineer along with Post Gradate Diploma or Degree in Structural Engineering from a recognized University.
3. **Location/Address of Building**
   Plot No. 9-B(part-1 Sector-9D
   Scheme/Colony Vrindavan Yojana
   Town.....
   District.....
4. **Particulars of Building**
   1. Ground Coverage (sq mt) 20-237
   2. Total covered area(sq mt) 1,11,396.18m2
   3. Maximum Numbers of Floors above ground 13

SANJAY VITHALKAR
(B. Tech., IIT Delhi)
Structural Consultant
SPACE COMBINE
Architects Engineers Planners
Landscape Interior Designers
A-1/112, 2nd floor Safdarjung Enclave
New Delhi - 110029

Signature of Owner with date
Name (Block).....
(Block).....
Address :
.....
.....
.....

Signature of the Structural Engineer who had prepared the design with
Name
Legible Seal: (with address)

Signature of the Architect who had Prepared the design with date
Name (Block).....
COA Registration No.....
Legible Seal (with address)

ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या 9बी/जी0एच0–1, वृन्दावन योजना लखनऊ में पूर्व स्वीकृत मानचित्र से भिन्न विन्यास को नियमानुसार शमनित करते हुए स्वीकृति मानचित्र की शर्तें

ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या 9बी/जी0एच0–1, वृन्दावन योजना लखनऊ में पूर्व स्वीकृत मानचित्र [illegible] को नियमानुसार शमनित करने सम्बंधी आवंटी के क्रम में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड [illegible] 695/दिनांक 06–05–2015 के माध्यम से प्राप्त स्थल सत्यापन के अनुसार परीक्षोपरान्त आवास आयुक्त(भ0) में उच्च स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 05–02–2016 में विचार–विमर्श के उपरान्त कतिपय [illegible] शमनीयकृत मानचित्र स्वीकृति का निर्णय लिया गया है :–

"बृन्दावन योजना को पश्चिम की 216वीं बोर्ड बैठक दिनांक 6–1–2011, के मद संख्या–17 के निर्णय के क्रम में अधिकरित घोषित है इससे योजना का बेसिक एफ0ए0आर0 2.50 हो गया है तदनुसार शासनादेश संख्या–3589/8–3–2011 विविध/08 दिनांक 04.08.2011 में नयी एवं अधिकरित योजनाओं हेतु बेसिक एफ.ए.आर. 2.5 घोषित किया गया है। इसी क्रम में बृन्दावन योजना के अन्तर्गत बेसिक एफ.ए.आर. 2.5 निर्धारित किया गया है एवं योजना अर्न्तगत 10–10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 का नियोजन पूर्व में प्राप्ति धारित है। अतः योजना में शासनादेश के अनुपालन में आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों में बेसिक एफ0ए0आर0 के निर्माण योजनान्तर्गत 10–10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण उक्त के फलस्वरूप अनुमन्य रखा जाय।"

उक्त के अनुक्रम में एतद्द्वारा निम्नांकित शर्तों सहित उक्त मानचित्र निर्गत किया जा रहा है :–

1. पूर्व में भूखण्ड के सापेक्ष पूर्व में पश्चिम के पक्ष संख्या–126/निउप्रा0–2010/24/आ0नि0–5 दिनांक 13–7–2011 द्वारा 24&C–एफ0ए0आर0 के अर्न्तगत मानचित्र स्वीकृत है वर्तमान में स्वीकृत से भिन्न एवं कतिपय संशोधनों सहित पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृति जिसके फलस्वरूप पूर्व स्वीकृत मानचित्र एतद्द्वारा द्वारा निरस्त मानते हुए पूर्व स्वीकृत मानचित्र मूलरूप में स्वीकृत पत्र संख्या इस कार्यालय के सापक्ष/पावक करना होगा।
2. वर्तमान में यह स्वीकृति ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर नियमानुसार 2.4997 एफ0ए0आर0 सहित शमनित करते हुए सहित कुल 963 इकाईयों निर्मित/शमनित किये जाने हेतु अनुवर्ती तलों पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा। वर्तमान में क्रियान्वयन,तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 5–2–2016 के अनुमोदन के क्रम में स्थल पर निर्माण किया जाएगा।
5. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पूर्व में स्वीकृत मानचित्र के अवधि के अनुसार ही मान्य होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
7. पूर्व में स्वीकृत मानचित्र में 11 नग टावरों में से निर्मित व शमनित 09 टावरों (क्रमशः टावर नं0 टी–2, टी–3, टी–4, टी–6, टी–7, टी–8, टी–9, टी–10 व टी–11 एवं क्लब हाउस) का शमनित मानचित्र उच्च स्तरीय समिति द्वारा कतिपय शर्तों सहित अनुमोदित किया है। यह स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित अवशेष (प्रस्तावित निर्माण क्षेत्रफल 15038.40 वर्गमी0) टावर नम्बर टी–1 व टी–5 जो कि पूर्व स्वीकृत मानचित्र दिनांक 13–7–2011 में प्रस्तावित थे एवं जिनका खण्ड कार्यालय की स्थल आख्या के अनुसार तददिनांक तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, के सापेक्ष भूतल पर निर्माण क्षेत्रफल 1329.00 वर्गमी0 हेतु की स्वीकृति प्रथम चरण के अर्न्तगत वर्तमान में प्रदान की जा रही है।
8. वर्तमान में अवशेष निर्माण हेतु प्रथम चरण में दोनों टावर्स (टावर संख्या टी0–1,टी0–5 व शापिंग) सहित 15038.40 वर्गमी0 (प्राउण्ड फ्लोर + 13 तल) में से भूतल के निर्माण क्षेत्रफल 1329.00 वर्गमी0 हेतु निर्माण की स्वीकृति भूखण्ड क्षेत्रफल 44609.67 वर्गमी0 पर प्रदान की जा रही है।
9. टावर संख्या टी0–1, टी0–5 व शापिंग के सम्पूर्ण निर्माण (दोनों चरणों सहित) की अवधि पूर्व में स्वीकृत की अवधि (दिनांक 13–7–2011 से दिनांक 12–7–2016) के अनुसार होगी। उक्त अवधि के उपरान्त निर्माण की दशा में नियमानुसार सम्बंधित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय से निर्माण हेतु समयवृद्धि प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी।
10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी,उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्र संख्या–1615/एफ0एस0–11 दिनांक 11–05–2015 के द्वारा अग्रसारित प्रमाण पत्र/सत्यापित मानचित्र प्रस्तुत किये गये है जारी किया गया है की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है।
11. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
12. आवंटी द्वारा सर्वेक्षण प्राक्रय पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु कालान्तर मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञप्ति तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। निर्धारित समयावधि मे निर्माण कार्य यथानायक सही पाये जाने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
13. आवंटी द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार/संचय करने की दशा में मानचित्र अनुमत होने की तिथि से देय मूलधन मूल्य तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।

भू0 हा0 आवास एवं विकास परिषद
स्वीकृत
नं० 994 दि० 18/4/16
दि० 18/7/16 से 12/7/16 तक
विशेष कार्यपालक अभियन्ता
वास्तुविद नियोजक

शासनादेश संख्या 375/9–आ0नि0–भूकम्परोधी/2001 (आ0आ0नु0) आवास अनुभाग–1 दि0 20जुलाई 2001 में भूकम्परोधी व्यवस्था करने हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स तथा निदेषक सिविल इंजीनियर्स की निर्धारित अर्हता के अनुसार उक्त कार्य किये जा सकेंगे।

मानचित्र इस उपलब्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि निर्माण पूर्ण होने पर पुनः संगत इमारत में की गयी शमन व्यवस्थाओं को सोपेक्षित पाये जाने के उपरान्त परिषद द्वारा पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर ही मानचित्र अनुमोदन को अंकित माना जायेगा।

वास्तुविद नियोजक/विशेषकार्याधिकारी